



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : CCU-101/2024

In accordance with provision of Sub-Rule 6 of Rule 43 of the C.C.S. (Pension) Rules, 2021, I hereby accept request dated 28.11.2024 of Shri Suresh Chand Badaya, Superintendent, Group 'B' (Gazetted), CGST Commissionerate, Jaipur withdrawing his earlier notice dated 02.09.2024, seeking voluntary retirement from the Government Service w.e.f. 13.12.2024. Accordingly, this office Establishment Order No. 87/2024 dated 24.10.2024 allowing Shri Suresh Chand Badaya, Superintendent to retire voluntarily from Government Service w.e.f. 13.12.2024, is hereby withdrawn with immediate effect.

(चेतन कुमार जैन)
 प्रधान आयुक्त

फा.स. GCCO/II/3/RTR/5/2020/Part-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री सुरेश चन्द्र बडाया, अधीक्षक, सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, जयपुर।
2. अपर आयुक्त (का.एवं सत.), सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र फा.सं. ET-1/VRS/Gr-B/27/2021-ADMN दिनांक 10.12.2024 के सन्दर्भ में प्रेषित।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर)।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।